कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

E-mail-dcourtseh-mp@nic.in, Contact No. - 07562-292211, Fax - 299475

पृष्ठांकन कमांक/1485/अधिवक्ता प्रशिक्षण नस्ती/2024 सीहोर दिनांक 25/5/24
प्रतिलिपि यथानिर्देशानुसारः–

1. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, सीहोर/आष्टा/इछावर/नसरूल्लागंज/बुदनी की ओर म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के ज्ञापन कं 232/एम.पी.एस.जे.ए/2024 दिनांक 20.05.2024 की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ अभिभाषकगण को दिनांक 21.06.2024 एवं दिनांक 22.06.2024 को आयोजित होने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें।

2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, सीहोर/आष्टा/इछावर/नसरूल्लागंज/बुदनी की ओर म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के ज्ञापन कं 232/एम.पी.एस.जे.ए/2024 दिनांक 20.05.2024 की छायाप्रति प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक 21.06.2024 एवं दिनांक 22.06.2024 को अधिवक्ता हेतु ऑनलाइन आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैठक व्यवस्था किए जाने हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, सीहोर/आष्टा/इछावर/बुदनी/नसरूल्लागंज की ओर म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के ज्ञापन कं 232/एम.पी.एस.जे.ए/2024 दिनांक 20.05.2024 की छायाप्रति प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक 21.06.2024 एवं दिनांक 22.06.2024 को अधिवक्ता हेतु ऑनलाइन आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक तकनीकी उपकरणों सहित प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हेतु अधीनस्थ जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/आई.टी.असिस्टेंट को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार छायाप्रति।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट, सीहोर (म.प्र.)

Acctt
21-5-24

Pursuit of Excellence

MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY, JABALPUR

मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर

Beoharbagh, Jabalpur (M.P.) – 482 007

ब्योहारबाग, जबलपुर (म. प्र.) – 482 007

Ph. No. 0761-2626945, Telefax: 0761-2628679 E-mail: dirmpsja@mp.gov.in

No. 238/MPSJA/2024 Jabalpur, dated 20.05.2024

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, सीहोर, मुरैना, श्यापुर
शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, आगर,
नरसिंहपुर, उज्जैन, नीमच, बड़वानी एवं बुरहानपुर

विषयः– दिनांक **21.06.2024** एवं **22.06.2024** को ऑनलाईन माध्यम से नवीन आपराधिक विधियों पर **''रीजनल वर्कशॉप फॉर एडवोकेट''** के आयोजन के संबध मे।

...

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, म.प्र उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील होने वाली नवीन आपराधिक विधियों के संबंध में म.प्र. के समस्त अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। अतः अकादमी द्वारा दिनांक **21.06.2024** एवं **22.06.2024** को शाम 4:00 बजे से ऑनलाईन माध्यम से नवीन आपराधिक विधियों पर **''रीजनल वर्कशॉप फॉर एडवोकेट''** के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप अधिवक्ता संघ के माध्यम से अपने जिले में व्यवसायरत समस्त अधिवक्ताओं को इस संबंध में सूचित करने का कष्ट करें, जिससे उक्त कार्यशाला में अधिक से अधिक अधिवक्तागण सम्मिलित होकर नवीन आपराधिक विधियों के सबध में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

अतः आप दिनांक **21.06.2024** एवं **22.06.2024** को ऑनलाईन माध्यम से आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिवक्ताओ हेतु जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में उचित व्यवस्था करने का कष्ट करें।

20.05.24
कृष्णमूर्ति मिश्र
डायरेक्टर

21 MAY 2024
2637/24